



सत्यमेव जयते



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

28 माघ, 1946 (श०)

संख्या - 93 राँची, सोमवार,

17 फ़रवरी, 2025 (ई०)

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

संकल्प

27 जनवरी, 2025

विषय :- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 के तहत अनुसंधान हेतु अनुसंधानकर्ता को मोबाईल फोन की सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में ।

सं०सं० : 05/वि० को0-5/62/2024-490--तीन नये आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 को केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 01 जुलाई, 2024 के प्रभाव से अधिसूचित किया गया है ।

2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-105 में प्रावधानित है कि

"Recording of search and seizure through audio-video electronic means:-

The process of conducting search of a place or taking possession of any property, article or thing under this Chapter or under Section 185, including preparation of the list of all things seized in the course of such search and seizure and signing of such list by witnesses, shall be recorded through any audio-video electronic means preferably mobile

phone and the police officer shall without delay forward such recording to the District Magistrate, Sub-divisional Magistrate or Judicial Magistrate of the first class." तथा उक्त अधिनियम की धारा-185 में प्रावधानित है कि "Search conducted under this section shall be recorded through audio-video electronic means preferable by mobile phone. Similarly copies of any records made during such search under Section 185 of BNSS now need to be sent to the concerned magistrate within 48 hours as per Section 185 (5). Earlier, no such time limit was provided."

इस प्रकार स्पष्ट है कि नये आपराधिक कानून के तहत कांड के अनुसंधान हेतु उपरोक्त धारा के तहत की गई तलाशी एवं जप्ती को ऑडियो विडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से रिकॉर्ड किया जाना है। इसी तरह उक्त अधिनियम की धारा-185 के तहत तलाशी के दौरान बनाए गए किसी भी रिकॉर्ड की प्रतियाँ धारा-185 (5) के अनुसार 48 घंटे के भीतर संबंधित मजिस्ट्रेट को भेजा जाना है। साथ ही तलाशी एवं जप्ती की भी विडियोग्राफी किया जाना है। गवाहों, कम्पलेनेंट एवं संदेही व्यक्तियों को समन इत्यादि इलेक्ट्रॉनिक मेल से भेजा जाना है। इसके अलावा कम्पलेनेंट को कांड में हुई प्रगति की रिपोर्ट भी 90 दिनों के अन्दर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दिया जाना है।

3. तीन नये आपराधिक कानूनों के सफल कार्यान्वयन के संदर्भ में विभिन्न समितियों का गठन किया गया है, जिसमें अपर पुलिस महानिदेशक, संचार एवं तकनीकी सेवाएँ, झारखण्ड, राँची की अध्यक्षता में Technical upgradation Committee गठित है। उनके पत्रांक-58/गो० दिनांक-03.07. 2024 के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 के प्रावधानों के तहत जिस प्रकार की अपेक्षाएँ ऑडियो / विडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम की है, उनको पूरा करने के लिए निम्नांकित Features का मोबाईल फोन (Smart Phone) प्रत्येक अनुसंधानकर्ता के पास रहना आवश्यक है।

Mobile Specification		
SL No.	Specification	Features
1	Screen Size	6.5 to 6.8 (Inch)
2	Android Version	13 and above
3	Memory (RAM)	12 GB
4	Storage	256 GB
5	Network	5G
6	Rear Camera	50 MP or above
7	Processor	Dragon 7 Gen-1 or II/Mediatek Density 7200 to 8200
8	Battery	5000 Mah or above

4. मोबाईल सेट का क्रय, व रख-रखाव, प्रतिधारण / प्रतिस्थापन, सेवानिवृत्ति / स्थानान्तरण / प्रोन्नति/सेवा से परित्याग की स्थिति में निम्नरूप से दिशा-निर्देश निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है:-

(i) मोबाईल सेट की क्रय, सुरक्षा व रख-रखाव:-

(a) अनुसंधानकर्ता स्वयं से मोबाईल सेट, कंडिका-3 में उल्लेखित Specification/Features के अनुरूप क्रय कर विभाग/कार्यालय सकेंगे। मोबाईल सेट क्रय करने की अधिसीमा रूपये 25,000 /- (पच्चीस हजार रूपये) होगी। से अनुमान्यता के आधार पर प्रतिपूर्ति प्राप्त कर

(b) राशि का वहन स्थापना व्यय मुख्यशीर्ष-2055 पुलिस-001-निदेशन और प्रशासन-04-अधीक्षण-03-प्रशासनिक व्यय-17-कार्यालय उपकरण मद के अंतर्गत किया जायेगा ।

(c) अनुसंधानकर्ता द्वारा क्रय किये गये मोबाईल सेट का भुगतान उनके द्वारा समर्पित विपत्र के आधार पर तथा न्यूनतम विशिष्टियों के सत्यापन के उपरान्त संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

(d) मोबाईल फोन (Smart Phone) के क्रय हेतु न्यूनतम विशिष्टियों का निर्धारण पुलिस मुख्यालय द्वारा किया जायेगा ।

(e) राशि के प्रतिपूर्ति के लिए क्रय किये गये मोबाईल फोन का भौतिक सत्यापन अनिवार्य होगा।

(f) अनुसंधानकर्ता को दिये जाने वाले मोबाईल सेट की अवधि 04 वर्षों की होगी। उसके पश्चात् अनुसंधानकर्ता उक्त मोबाईल सेट को विभाग / कार्यालय कर सकेंगे। 04 वर्षों के दौरान उपकरण की सुरक्षा तथा डाटा की गोपनीयता एवं सुरक्षा का दायित्व में जमा कर दूसरा मोबाईल ईल सेट प्राप्त संबंधित अनुसंधानकर्ता का होगा ।

(g) ऑडियो-विडियो इल्ट्रोनिक माध्यम से किये जाने वाले सभी कार्यों को पूरा करने के लिए डाटा रिचार्ज की अधिसीमा 500 रूपये प्रति माह होगी। अनुसंधानकर्ता स्वयं से डाटा रिचार्ज कर विभाग / कार्यालय से अनुमान्यता के आधार पर प्रतिपूर्ति प्राप्त कर सकेंगे ।

(ii) मोबाईल फोन की प्रतिधारण / प्रतिस्थापन:-

(a) अनुसंधानकर्ता को मोबाईल सेट उपलब्ध कराये जाने की स्थिति में अगले 04 वर्षों तक उस अनुसंधानकर्ता को कोई नया मोबाईल सेट आवंटित नहीं किया जा सकेगा ।

(b) मोबाईल सेट के लिये निर्धारित आयु के अंतर्गत फोन के गुम हो जाने अथवा खराब हो जाने की स्थिति में संबंधित अनुसंधानकर्ता से फोन के लिये अनुमान्य राशि/मूल राशि से Depreciation value घटाकर राशि प्राप्त हो जाने के उपरान्त मोबाईल सेट उपलब्ध कराये जाने पर विभाग/कार्यालय विचार कर सकता है ।

(c) निम्नवत् तालिका के अनुसार मोबाईल सेट के मूल राशि/अनुमान्य राशि के आधार पर Depreciation value परिगणित किया जायेगा ।

Depreciation value की तालिका:-

उपकरण क्रय की तिथि से विचारण की तिथि तक	महीनों की संख्या	Depreciation	उपकरण का मूल्यांकन (राशि जो कर्मों से प्राप्त होगी।)
07.01.2025 से 07.07.2025	< 06 माह	0	पूरी राशि का भुगतान
07.07.2025 से 07.01.2026	06-12 माह	12.5%	मूल राशि का 87.5%
07.01.2026 से 07.07.2026	12-18 माह	25%	मूल राशि का 75%
07.07.2026 से 07.01.2027	18-24 माह	37.5%	मूल राशि का 62.5%
07.01.2027 से 07.07.2027	24-30 माह	50%	मूल राशि का 50%
07.07.2027 से 07.01.2028	30-36 माह	62.5%	मूल राशि का 37.5%
07.01.2028 से 07.07.2028	36-42 माह	75%	मूल राशि का 25%
07.07.2028 से 07.01.2029	42-48 माह	87.5%	मूल राशि का 12.5%
07.01.2029 के बाद की अवधि	> 48 माह	100%	शून्य भुगतान

(iii) सेवानिवृत्ति/स्थानान्तरण/प्रोन्नति/सेवा से परित्याग की स्थिति पर:-

(a) सेवानिवृत्ति/सेवा से परित्याग की स्थिति पर संबंधित अनुसंधानकर्ता सेवानिवृत्ति/सेवा परित्याग की तिथि को थ को मोबाईल सेट संबंधित विभाग/कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करेंगे। तत्पश्चात् इससे संबंधी अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जा सकेगा।

(b) संबंधित अनुसंधानकर्ता का स्थानान्तरण होने की स्थिति में अनुसंधानकर्ता आवंटित मोबाईल सेट संबंधित विभाग/कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करेंगे। तत्पश्चात् ही संबंधित अनुसंधानकर्ता का अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र निर्गत किया जायेगा।

(c) संबंधित अनुसंधानकर्ता की प्रतिनियुक्ति होने की स्थिति में अनुसंधानकर्ता आवंटित मोबाईल सेट संबंधित विभाग / कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करेंगे। तत्पश्चात् ही संबंधित अनुसंधानकर्ता के वेतनादि की निकासी की कार्रवाई की जा सकेगी।

(d) प्रोन्नति होने पर, अनुसंधानकर्ता जिन्हें मोबाईल सेट आवंटित है, उनके द्वारा उपयोग किये जा रहे मोबाईल सेट की आयु पूर्ण न हुई हो तथा अन्यत्र स्थानान्तरण न हुआ हो तो उन्हें नये धारित पद के अनुमान्यता के आधार पर मोबाईल सेट देय नहीं होगा।

5. यदि किसी अनुसंधानकर्ता को राज्य सरकार के किसी योजना के अन्तर्गत मोबाईल सेट अनुमान्य है तो ऐसी स्थिति में संबंधित अनुसंधानकर्ता किसी एक स्रोत से ही मोबाईल सेट की सुविधा प्राप्त कर सकेंगे।

6. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची के संलेख ज्ञापांक-406, दिनांक-21.01.2025 के क्रम में दिनांक-21.01.2025 की बैठक के मद सं०-18 में दी गई है।

वंदना दादेल,
सरकार के प्रधान सचिव।
